न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक
पीठासीन अधिकारी अर्पीता सोनी (आरएएस)

प्रा0पत्र संख्या 108/2017
तारिख दायरा 11.9.2017

उनवान

1.केदार पुत्र धासी लाल जाति ढोली निवासी जौला तह0 पीपलू जिला टोंक कुल कस 2

प्रार्थीगण

बनाम

1.अधीशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग टोंक 2. तहसीलदार पीपलू

प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 6-ए राज.पेटा
तारिख फैसला 4.1.2018

तालाब की भूमि काश्त हेतु आवटन नियम 1961

प्रार्थी अधिवक्ता :- विवेक चौधरी
अप्रार्थी :-पेरोकार अधि0अभि0

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सारांश में इस प्रकार है कि प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी टोंक से रिमाण्ड होकर प्राप्त होने पर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि भूमि अराजी ख0न0 935,936,937,938 वाके ग्राम जौला प्रार्थीगण के पिता कल्याण की खातेदारी भूमि है जो दौलतसागर बॉध निर्माण के समय डूब में आ जाने के कारण अवाप्त की गई थी परन्तु उसका मुआवजा राशि प्राप्त नही की गई थी, एवं राज्य सरकार के विभिान्न प्रपत्रों के अनुसार डूब से बाहर रहने पर प्रार्थी भूमि काश्त करता चला आ रहा है और आवंटन नियम के अनुसार उक्त वर्णित भूमि पर काश्त का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थी नियमानुसार भूमि डूब में रहने पर लगान का 1/4 भाग एवं काश्त किये जाने पर लगान का दोगुनी राशि जमा करवाने हेतु तैयार है अतः श्रीमान् जी आवेदक का आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि अराजी ख0न0 935,936,937,938 वाके ग्राम जौला तह0 पीपलू प्रार्थीगण को हक काश्त अधिकार दिये जावें । तथा भूमि डूब में रहने पर लगान का 1/4 भाग एवं काश्त किये जाने पर लगान का दोगुनी राशि जमा करवाने का आदेश तहसीलदार पीपलू को प्रदान करे

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की ओर से अधिशाषी अभियन्ता सिचाई विभाग टोक ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ पेश की है कि उपरोक्त आराजीयात में सबंधी विभाग एवं राजस्व गुप्र-6 के पत्रांक प0क06 (अ) राज-6-85 पार्ट/6 जयपुर दिनांक 31.8.10 व दिनांक 7.2.11 तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 10 (3) राज -6 /2011/7 जयपुर दिनांक 25.4.11 से निर्देश है कि राजस्थान भू राजस्व -तालाब तले भूमिया कृषि हेतु आवंटन नियम 1961 नही किया जावे इस प्रकार उक्त नियमों के तहत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे ।

हमने बहस अधिवक्तागण सुनी । प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दोराने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि अराजी ख0न0 935,936,937,938 वाके ग्राम जौला तह0 पीपलू प्रार्थीगण को हक काश्त अधिकार दिये जावें । तथा भूमि डूब में रहने पर लगान का 1/4 भाग एवं काश्त किये जाने पर लगान का दोगुनी राशि जमा करवाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण ने अपने जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वादीगण अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ विशेष आपत्तियॉ परिपत्र का हवाला देते हुए उपरोक्त आराजीयात भूमि में तथ्य पूर्णतया गलत होने से स्वीकार योग्य नही है। ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब, बहस एवं भूमि अराजी ख0न0 935,936,937,938 वाके ग्राम जौला तह0 पीपलू का अवलोकन किया जिसमें उक्त वर्णित अराजीयात में सबंधी विभाग एवं राजस्व गुप्र-6 के पत्रांक प0क0 6 (अ) राज-6-85 पार्ट/6 जयपुर दिनांक 31.8.10 व दिनांक 7.2.11 तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 10 (3) राज -6 /2011/7 जयपुर दिनांक 25.4.11 से निर्देश है कि राजस्थान भू राजस्व -तालाब तले भूमिया कृषि हेतु आवंटन नियम 1961 नही किया जावे । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज 4.1.2018 को सरे इजलाश सुनाया गया

अर्पिता
(अर्पिता सोनी)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी पीपलू